क्रमांक–प.2( )जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / बैठक / 2026 / डी– दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 229वीं बैठक दिनांक 12.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ''मंथन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	**229:1**	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 228वीं बैठक दिनांक 21.07.2026 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की पूर्व की बैठकों की लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा सभी जोनों को आगामी बैठक से पूर्व जारी गूगल स्प्रेडशीट पर अनुपालना कार्यवाही अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	08	**229.2**	जोन–08 द्वारा :– • सांगानेर मालपुरा गेट के समीप स्थित जे.वी.वी.एन.एल सहायक अभियन्ता कार्यालय 33/11 केवी जी.एस.एस. सेक्टर सडक 30 मीटर के भाग में स्थित होने के कारण एलिवेटेड सडक के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने के कारण • ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर • खसरा नम्बर 1782, 1783 व 1784 • सुविधा क्षेत्र की 4628.36 वर्ग मीटर भूमि में से 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि सांगानेर मालपुरा गेट के समीप स्थित जे.वी.वी.एन.एल सहायक अभियन्ता कार्यालय 33/11 केवी जी.एस.एस. सेक्टर सडक 30 मीटर के भाग में स्थित होने से एलिवेटेड सडक के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने के कारण ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1782, 1783 व 1784 में सुविधा क्षेत्र की 4628.36 वर्ग मीटर भूमि में से 1500 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • जोन द्वारा प्रस्तावित ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1782, 1783 व 1784 में सुविधा क्षेत्र की 4628.36 वर्ग मीटर भूमि में से 1500 वर्ग मीटर भूमि (प्रस्तुत नक्शे अनुसार) जे.वी.वी.एन.एल सहायक अभियन्ता कार्यालय 33/11 केवी जी.एस.एस. को आंवटन की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। • नवीन आंवटन के 1500 व.मी. में से सडक निर्माण में बाधा के कारण जितना क्षेत्र जेवीवीएनएल से लिया जा रहा है, के अन्तर को कम करते हुए शेष भूमि का आंवटन आरक्षित दर के 50 प्रतिशत + स्थानीय निकाय हेतु 15 प्रतिशत पर आंवटन की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115130
M e-Sign

				हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। • साथ ही पूर्व में जारी आवंटन पत्र/लीजडीड मूल ही प्राधिकरण में जमा कराये जाने के पश्चात् संशोधित लीजडीड/आंवटन पत्र जारी किया जावे।
3.	08	**229.3**	जोन–08 द्वारा :– • जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स • भूखण्ड संख्या एफ–7 में से क्षेत्रफल 414 वर्ग मीटर भूमि • सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हेतु आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स के भूखण्ड संख्या एफ–7 में से क्षेत्रफल 414 वर्ग मीटर भूमि सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड हेतु आवंटन की जानी है। प्रकरण 2025–26 बजट घोषणा से संबंधित है। आवंटन हेतु अन्य कोई भूखण्ड उपलब्ध नही होने के कारण आवेदित भूमि (2500 व.मी.) के स्थान पर उपलब्ध क्षेत्रफल (414 व.मी.) के ही आंवटन के संबंध में विभाग से लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स के भूखण्ड संख्या एफ–7 में से क्षेत्रफल 414 वर्ग मीटर भूमि (प्रस्तुत नक्शे अनुसार) का आवंटन सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भूमि को आरक्षित दर के 50 प्रतिशत +स्थानीय निकाय हेतु 15 प्रतिशत पर आंवटन का निर्णय लिया गया।
4.	10	**229:4**	जोन–10 द्वारा :– • नगर निगम जयपुर को बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु • ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ • खसरा संख्या 269 रकबा 2.23 है0 किस्म गै.मु. • ख.नं. 270 रकबा 0.49 है0 किस्म गै.मु. • भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसमे से 2.72 है0 भूमि का सम्पूर्ण आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम जयपुर को बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ के खसरा संख्या 269 रकबा 2.23 है0 किस्म गै.मु. एवं 270 रकबा 0.49 है0 किस्म गै.मु. जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है, में से 2.72 है0 भूमि का सम्पूर्ण आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया। प्रस्तावित भूमि का मास्टर प्लान 2011 के अनुसार ईकोलॉजिकल भू–उपयोग, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना–07 के अनुसार स्पेशल एरिया दर्शित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.01.2025 अनुसार जयपुर मास्टर प्लान–2011 के ईकोलॉजिकल क्षेत्र में विद्यमान राजस्व ग्रामों व

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115130

M e-Sign

				आबादी हेतु जनोपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से ईकोलॉजिकल भू–उपयोग में रूरल सेटलमेन्ट के अन्तर्गत राजकीय जनोपयोगी सुविधाओं की गतिविधियां निम्न मानदण्डों की पालना के साथ अनुमत किया जाता है:– 1. अधिकतम भू–आच्छादन–20 प्रतिशत 2. अधिकत ऊँचाई–जी+2 3. वृक्षारोपण–20 प्रतिशत आच्छादन के अतिरिक्त 80 प्रतिशत खुले क्षेत्र में से 50 प्रतिशत (कुल भूमि का 40 प्रतिशत) सघन वृक्षारोपण हेतु किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ के खसरा संख्या 269 रकबा 2.23 है0 किस्म गै.मु. ख.नं. 270 रकबा 0.49 है0 किस्म गै.मु. क्षेत्रफल 2.72 है0 (27,200 वर्गमीटर) भूमि (सलंग्न नक्शानुसार) नगर निगम जयपुर को बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु डीएलसी दर पर (अविकसित भूमि होने के कारण) आवंटन किये जाने की अनुशंषा साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। • राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 13.01. 2025 की पालना विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। • आंवटन की अग्रिम कार्यवाही से पूर्व जोन स्तर से प्रकरण में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति हेतु लिखा जावें।
5.	10	**229:5**	जोन–10 द्वारा :– • बजट घोषणा वर्ष 2023–2024 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ क्रमोन्नत राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ़ को नवीन भवन निर्माण हेतु • खसरा संख्या 370, 379, 487 में ज.वि.प्रा. की पूर्व अनुमोदित जमवारामगढ़ फार्म हाउस योजना में स्थित रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भूखण्ड में से क्षेत्रफल 14977.00 व.मी. के आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि बजट घोषणा वर्ष 2023–2024 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ क्रमोन्नत राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ़ को नवीन भवन निर्माण हेतु खसरा संख्या 370, 379, 487 में ज.वि.प्रा. की पूर्व अनुमोदित जमवारामगढ़ फार्म हाउस योजना में स्थित रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भूखण्ड में से क्षेत्रफल 14977.00 व.मी. के आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया। एलपीसी की 214वीं बैठक दिनांक 09.09.2025 में लिये गये निर्णय के तहत जमवारामगढ फार्म हाउस योजना में स्थित संस्थानिक भूखण्ड 14908 व.मी. का निःशुल्क आंवटन राज्य सरकार की

RajKaj Ref No.: 24115130

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

				स्वीकृति उपरान्त आवंटन पत्र दिनांक 17.03.2026 को तथा लीजडीड दिनांक 08.04.2026 को जारी किया गया तथा मौके पर राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन निर्मित होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही जोन द्वारा पूर्व अनुमोदित जमवारामगढ फार्म हाउस योजना का डिमार्केशन नही होने तथा खसरों की ओवरलेपिंग होने के कारण योजना का मानचित्र संशोधन हेतु पुनः पीडब्लयूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने हेतु निवेदन किया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया किः— • फार्म हाउस योजना में प्रस्तावित रिसोर्ट भूमि में से आंवटन किये जाने कि सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। • प्रस्ताव पी.डब्ल्यू.सी. बैठक के निर्णय पश्चात् संशोधित योजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार पुनः प्रस्तुत किया जावे। • पूर्व में जारी आवंटन पत्र एवं लीजडीड आवेदक संस्था से मूल ही प्राप्त किये जाने पश्चात् आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावे। मौके पर भवन निर्मित होने के बावजूद भी भूखण्ड आवंटन हेतु प्रस्तावित किये जाने के संबंध में दोषी कार्मिकों पर कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
6.	13	**229.6**	जोन—13 द्वारा :— • राजस्व ग्राम धौला तह—जमवारामगढ़ • खसरा नं. 300/234 किस्म चरागाह • रकबा 46.3748 हैक्ट. भूमि में से क्षेत्रफल 20235.00 वर्गमीटर (5 एकड) • राजकीय महाविद्यालय धौला के लिए भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्राम धौला तह—जमवारामगढ़ के खसरा नं. 300/234 किस्म चरागाह रकबा 46.3748 हैक्ट. भूमि में से क्षेत्रफल 20235.00 वर्गमीटर (5 एकड) राजकीय महाविद्यालय धौला के लिए भूमि आवंटन चाहा गया है। जिसके लिए चिन्हित की गई भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण खसरा संख्या 320/83 के खातेदार द्वारा विनिमय में समान भूमि के आधार पर अपनी भूमि में से 100फीट रोड हेतु भूमि लिये जाते हुए आवंटन प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण में सम्मिलित नवीन राजस्व ग्राम में स्थित होने के कारण मास्टर प्लान में भू—उपयोग दर्शित नही है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः—

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004

दूरभाष.991.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू 97019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555

ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

RajKaj Ref No.: 24115130

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

				• राजस्व ग्राम धौला तह–जमवारामगढ़ खसरा नं. 300/234 किस्म चरागाह रकबा 46.3748 हैक्ट. भूमि में से भू–आवंटन नीति 2025 के प्रावधान अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर (सलंग्न नक्शानुसार) राजकीय महाविद्यालय धौला को निःशुल्क आंवटन किये जाने निर्णय लिया गया। • राजकीय महाविद्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि तक 100फीट पहुंच मार्ग के लिए खसरा नं. 320/83 में से रास्ता लिये जाने बाबत् चाही गई खातेदारी भूमि के संबंध में भूमि विनिमय बाबत् उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही हेतु आवेदक विभाग के स्तर से लिखा जावे।
7.	13	**229.7**	जोन–13 द्वारा :– • कार्यकारी निदेशक (कम्पनी मामलात) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. जयपुर, पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर जयपुर को जयपुर मेट्रो परियोजना के फेज–प्रथम सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर वाया गलता गेट) के अलाईमेंट में आने वाली वन विभाग की भूमि के बदले समान जविप्रा स्वामित्व की वन विभाग की भूमि • ग्राम–दौलतपुरा, तहसील–आमेर • खसरा संख्या 1394 • रकबा 28.50 हैक्टेयर में से 403.00 वर्गमीटर भूमि वन विभाग को आवंटन करने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यकारी निदेशक (कम्पनी मामलात) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. जयपुर, पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर जयपुर को जयपुर मेट्रो परियोजना के फेज–प्रथम सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर वाया गलता गेट) के अलाईमेंट में आने वाली वन विभाग की भूमि के बदले समान जविप्रा स्वामित्व की वन विभाग की भूमि ग्राम–दौलतपुरा, तहसील–आमेर के खसरा संख्या 1394 रकबा 28.50 हैक्टेयर में से 403.00 वर्गमीटर भूमि वन विभाग को आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • ग्राम–दौलतपुरा, तहसील–आमेर खसरा संख्या 1394 रकबा 28.50 हैक्टेयर में से 403.00 वर्गमीटर भूमि (सलंग्न नक्शानुसार) खसरा नम्बर 1394 से लगते हुए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जोन द्वारा (सलंग्न नक्शे अनुसार) डीएलसी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
8.	14	**229.8**	जोन–14 द्वारा :– • जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. जयपुर को • ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू • खसरा नम्बर 1926 • रकबा 3.2200 हैक्ट. • मेट्रो परियोजना फेज–2 के कास्टिंग यार्ड हेतु अस्थाई भूमि उपलब्ध कराने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. जयपुर को ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू के खसरा नम्बर 1926 रकबा 3.2200 हैक्ट. में मेट्रो परियोजना फेज–2 के कास्टिंग यार्ड हेतु अस्थाई भूमि उपलब्ध कराने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। **समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:–**

RajKaj Ref No.: 24115130

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

				• ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू में खसरा नम्बर 1926 रकबा 3.2200 हैक्ट. में मेट्रो परियोजना फेज–2 के कास्टिंग यार्ड हेतु भूमि पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा कार्य पूर्ण होने, में से जो पहले हो, तक की अवधि के लिये अस्थाई तौर पर कास्टिंग यार्ड के उपयोग हेतु मेट्रो को दिये जाने का निर्णय लिया गया। • भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्राधिकरण का रहेगा।
9.	14	**229.9**	जोन–14 द्वारा :– • रिंग रोड परियोजना के ग्राम श्रीरामपुरा व रातल्या के ओ.के. ब्लॉक में मौके पर 132 केवी एच.टी.लाईन व सेफ्टी कोरिडोर से प्रभावित भूखण्डों के स्थान पर विनिमय द्वारा उक्त ब्लॉक में समान क्षेत्रफल के रिक्त उपलब्ध भूखण्डो का आवंटन करने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि रिंग रोड परियोजना के ग्राम श्रीरामपुरा व रातल्या के ओ.के. ब्लॉक में मौके पर 132 केवी एच.टी.लाईन व सेफ्टी कोरिडोर से प्रभावित भूखण्डों के स्थान पर विनिमय द्वारा उक्त ब्लॉक में समान क्षेत्रफल के रिक्त उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन किया जाना है। जोन द्वारा मौके का सर्वे किया जाना तथा रिक्त भूखण्डों को विनिमय में भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित किया गया। **समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:–** • समिति द्वारा एचटीलाईन व सेफ्टी कॉरिडोर से प्रभावित भूखण्डों का विनिमय सैद्वान्तिक रूप से स्वीकार किया गया। • स्कीम की रिप्लानिंग की जाकर एचटीलाईन व सेफ्टी कॉरिडोर से बचे हुये क्षेत्रफल में छोटे भूखण्डों का सृजन करते हुये संशोधित प्लान तैयार कर पीडब्ल्यूसी की बैठक के समक्ष रखा जाकर निर्णय करवायें।
10.	22	**229:10**	जोन–22 द्वारा :– • जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर राजस्थान • ग्राम डाबलाबुजुर्ग तहसील माधोराजपुरा में जविप्रा स्वामित्व की भूमि • खसरा नम्बर 121/1 रकबा 11.7346 हैक्ट. • किस्म चारागाह में से 30000 व.मी. भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान हेतु राजस्व ग्राम डाबलाबुजुर्ग तहसील माधोराजपुरा में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 121/1 रकबा 11.7346 हैक्ट. किस्म चारागाह में से 30000 व.मी. भूमि आवंटन किए जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। **समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:–** • प्रकरण बजट घोषणा 2025–26 से संबंधित होने तथा आवेदित जविप्रा स्वामित्व भूमि खसरा नम्बर 121/1 रकबा 11.7346 हैक्ट. किस्म चारागाह में से 30000 व.मी. भूमि (सलंग्न नक्शानुसार) मास्टर विकास योजना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115130

M e-Sign

				2025 के अनुसार भू–उपयोग पब्लिक, सैमी पब्लिक, रिक्रेशनल दर्शित होने तथा मास्टर विकास योजना 2025 की डीपीसीआर के वाल्यूम 4 के अनुसार पम्प हाउस व जलाशय अनुज्ञय गतिविधि है, के आधार पर निःशुल्क आवंटन की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
11.	24	**229:11**	जोन–24 द्वारा :– • संदीप एण्ड फेमिली एलएलपी जरिये पार्टनर एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डॉ. संदीप बक्शी पुत्र श्री मलूक सिंह बक्शी, पंजीकृत कार्यालय–1, उदयपुर गिलारिया, जगतपुरा, जयपुर • राजस्व ग्राम मानसरखेडी, तहसील–बस्सी • खसरा नंबर 948 / 164 • क्षेत्रफल 686.00 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि संदीप एण्ड फेमिली एलएलपी जरिये पार्टनर एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डॉ. संदीप बक्शी पुत्र श्री मलूक सिंह बक्शी, पंजीकृत कार्यालय–1, उदयपुर गिलारिया, जगतपुरा, जयपुर को राजस्व ग्राम मानसरखेडी, तहसील–बस्सी के खसरा नंबर 948 / 164 क्षेत्रफल 686.00 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा राजकीय भूमि के आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2025 के बिन्दू संख्या 1.4.3 के तहत निर्णय किया जाने हेतु आवेदन किया है। **समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:–** • समिति के समक्ष प्रस्तुत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 17.04.2025 राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 17.12.2019 तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2025 के परीक्षण पश्चात् उक्त आदेश को वर्तमान में संचालित पर्यटन ईकाईयो से लगती हुई अथवा मध्य में अवस्थित राजकीय भूमि के संबंध में पाया गया जबकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा परियोजना अभी शुरू की जानी है। • आवेदित गै.मु.रास्ते की भूमि आवेदक संदीप एण्ड फेमिली एलएलपी द्वारा ही डीएलसी की दुगुनी दर पर क्रय की जाकर रास्ते के उपयोग हेतु समर्पित की गई थी। आवेदित रास्ते की भूमि साथ लगती हुयी आवेदक के स्वामित्व की अन्य भूमि में जाकर विलोपित हो जाती है। इस रास्ते की भूमि का अन्य कोई पक्षकार / प्रभावित नहीं होने के आधार पर प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के उल्लेख के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115130
M e-Sign

				साथ राज्य सरकार को आदेश दिनांक 28.03.2025 के बिन्दु संख्या 1 (1.4) में शिथिलन पर विचार हेतु भेजा जावे।
12.	पी. आर. एन्.	**229.12**	जोन–पीआरएन द्वारा :– • मैसर्स बालाजी हॉस्पिटल एण्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर को • प्राधिकरण की गोकुल नगर योजना में स्थित • फैसेलिटी भूखण्ड संख्या एफ–10 • क्षेत्रफल 6368.98 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स बालाजी हॉस्पिटल एण्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर को प्राधिकरण की गोकुल नगर योजना में स्थित फैसेलिटी भूखण्ड संख्या एफ–10, क्षेत्रफल 6368.98 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। **समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि :–** • प्रकरण में प्रस्तावित भूखण्ड योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित है। अतः भूखण्ड का अंतिम भू–उपयोग निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण को पहले पीडब्ल्यूसी की बैठक के समक्ष रखा जावे।
टेबल एजेण्डा				
13.	11	**229:13**	जोन–11 द्वारा :– • उप स्वास्थय केन्द्र ग्राम चिरोटा हेतु ग्राम चिरोटा के फैसेलिटी एरिया में से 523.49 वर्गमीटर चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण सेवाएं राज., जयपुर ग्राम चिरोटा में भूमि बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	जोन द्वारा अवगत कराया गया कि उप स्वास्थय केन्द्र ग्राम चिरोटा हेतु ग्राम चिरोटा के फैसेलिटी एरिया में से 523.49 वर्गमीटर चिकित्सा स्वास्थय एवं परिवार कल्याण सेवाएं राज., जयपुर ग्राम चिरोटा में भूमि बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। **समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः–** • उप स्वास्थय केन्द्र ग्राम चिरोटा हेतु ग्राम चिरोटा के फैसेलिटी एरिया में से 500 वर्गमीटर भूमि (संलग्न मानचित्र अनुसार) निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II, III, IV/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24115130

M e-Sign

9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–ए, बी, सी, 7 से 25, पीआरएन, जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.08.19 14:23:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24115130

M e-Sign